

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
16/34/2025

रजिस्टर्ड नम्बर
2025/47

प्रवेश तिथि
08.01.2025

निर्णय दिनांक
26.03.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. गोरधन पुत्र रामबक्श जाति चमार निवासी सिरसका तहसील व जिला अलवर।
2. मुनीम पुत्र रामबक्श जाति चमार निवासी सिरसका तहसील व जिला अलवर।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14
(4) भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:-

01-श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

—:निर्णय:—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम सिरसका तहसील अलवर की आराजी खसरा न० 240 रकबा 0.31 है०, 240/599 रकबा 0.09 है० किता 2 रकबा 0.40 है० भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न० 240 रकबा 0.31 है०, 240/599 रकबा 0.09 है० किता 2 रकबा 0.40 है० भूमि वाके ग्राम सिरसका तहसील व जिला अलवर 1975 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का ककराली की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है की कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। तथा ना मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज. कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन 1975 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी खसरा न० 240 रकबा 0.31 है०, 240/599 रकबा 0.09 है० किता 2 रकबा 0.40 है० भूमि वाके ग्राम सिरसका किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे। श्रीमान की अति कृपा होगी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा मुख्य कथन किया गया है कि विवादित आवंटित उक्त आराजी पर अप्रार्थी का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं होने तथा मौका जाँच किये बिना अप्रार्थी को उक्त आराजी

आ. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

आवंटित कर दी गई। आराजी खसरा न० 240 रकबा 0.31 है०, 240/599 रकबा 0.09 है० किता 2 रकबा 0.40 है० भूमि वाके ग्राम सिरसका तहसील व जिला अलवर अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। पटवारी हल्का ककराली की रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा न० 240 रकबा 0.31 है०, 240/599 रकबा 0.09 है० किता 2 रकबा 0.40 है० भूमि वाके ग्राम सिरसका तहसील व जिला अलवर के राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण गोर्धन, मुनीम पिता रामबक्श हि. पूर्ण जाति चमार सा भुवाका सा० देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है। पटवारी हल्का ककराली की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.11.2024 से स्पष्ट रूप है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट मौके पर उक्त आराजी पर गैर खातेदार (अप्रार्थी) का कब्जा नहीं रहा है तथा मौके उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि अन्य दीगर व्यक्तियों द्वारा उक्त आराजी पर कई 50 वर्षों से काश्त की जा रही है। पत्रावली में संलग्न तामील में तामली कुलिन्दा द्वारा अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण गोर्धन, मुनीम पिता रामबक्श की मृत्यु हो गई है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू०आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू०आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा न० 240 रकबा 0.31 है०, 240/599 रकबा 0.09 है० किता 2 रकबा 0.40 है० भूमि वाके ग्राम सिरसका तहसील व जिला अलवर के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)